पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

विकासोर

ग्राम पंचायत – भोजातों का ओड़ा

ब्लॉक/पंचायत समिति – दोवड़ा

तहसील एवं जिला – डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - लगभग 200 साल पहले गाँव के कुछ पूर्वज लोग यहाँ से गुजर रहे थे। जब वे लोग थक गए तो विका(कांटेदार) पेड़ के नीचे बैठ कर उन्होंने अपनी थकान मिटाई। उन्होंने इसी स्थान पर कुछ घर बना लिए और आसपास की जमीन पर कब्जा करके अपने खेत और रहवास बना लिए। विका पेड़ के नीचे बैठे कर थकान दूर करने के कारण गाँव का नाम विकासोर हो गया। यह लगभग 200 साल पुराना गाँव है। इस गाँव में आदिवासियों में ननोमा उपजाति के लोगों के साथ पिछड़ा वर्ग के ढोली(कवि) लोग भी रहते थे। अभी भी ननोमा और ढोली के अतिरिक्त किसी समाज के लोग गाँव में नहीं रहते हैं। पहले गाँव काले पत्थरों और पहाड़ियों के बीच जंगल में बसा हुआ था। धीरे-धीरे जंगल समाप्त होते गए। आज गाँव में जंगल के नाम पर कुछ भी जमीन नहीं हैं। गाँव में बड़े-बड़े काले पत्थर आज भी हैं।

गाँव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग पैंतीस कि.मी. दूर उत्तर दिशा में विकासोर गाँव हैं। जिसकी ग्राम पंचायत भोजातों का ओड़ा और ब्लॉक/पंचायत समिति दोवड़ा तथा तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। गाँव के पूर्व में कनिला और पश्चिम में कालूगामड़ा उत्तर में भोजातों का ओड़ा और दक्षिण में काकरी गाँव है। गाँव में लगभग 200 परिवार पहाड़ियों के बीच कच्चे मिट्टी और खपरैल के मकानों में रहते हैं। गाँव की जनसंख्या लगभग 750 है। गाँव में शिक्षा का अभाव है क्योंकि गरीबी के कारण लोग बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने शहरों में चले जाते हैं। गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान और बस स्टेंड नहीं है वह तीन कि.मी. दूर भोजातों का ओड़ा में है। पशु चिकित्सालय गाँव में न होकर 12 कि.मी.दूर फलोज में है। गाँव में शिलालेख 10 साल पहले हुआ था। जिसका सिर्फ छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है। उस पर क्या लिखा था और क्यों वह शिलालेख हुआ था इसकी जानकारी अधिकतर गाँववासियों को नहीं है। नया शिलालेख 6 दिसंबर 2017 को हुआ। पेसा कानून की समझ अभी सभी गाँववासियों को नहीं है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीददारी के लिए 8-10 कि.मी. दूर, हथाई/रामगढ़ या पुनाली जाना पड़ता है। कच्चे और खपरैल वाले घरों में उदई(दीमक) से भी लोग परेशान हैं। गाँव में एक शिव जी का मंदिर है। एक माताजी का मंदिर है। एक नाग देवता और एक दशा माता का पूजा स्थल है।

आवागमन की स्थिति - डूंगरपुर से विकासोर जाने के लिए डूंगरपुर से दौवड़ा ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए हथाई तक बस मिलती है। हथाई के बाद गाँव तक जाने के लिए घंटों टेम्पो या जीप का इन्तजार करना पड़ता है। जीप और टेम्पो भोजातों का ओड़ा बस स्टेण्ड तक जाते है। भोजातों का ओड़ा बस स्टेंड से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। वहाँ से 2-5 कि.मी.पैदल या अपने साधन से आना-जाना पड़ता है। विकासोर के आदिवासी परिवार उबड़-खाबड़ जमीन पर बसे हुए हैं। वहां लोगों को अपने घरों तक आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र भोजोतों का ओड़ा में है, जो गाँव से 3 कि.मी. दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको फलोज(12 कि.मी.) या डूंगरपुर(35 कि.मी.) दूर ले जाना पड़ता है। आदिवासी परिवारों को 2-5 कि.मी. पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर अथवा अपने निजी साधन से भोजोतों का ओड़ा गाँव बस स्टेंड तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दुकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए भी रामगढ़/पुनाली अथवा हथाई 8-10 कि.मी. दूर जाना पड़ता हैं। पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है। वह भी 12 कि.मी.दूर फलोज में है।

गाँव में एक 8 वीं तक स्कूल है। जिसमें में लगभग 164 बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में 8 अध्यापक हैं। स्कूल में सिर्फ चार ही कमरे हैं। कमरों की कमी के कारण छात्रों के बैठने में कठिनाई होती रही है। ज्यादातर बच्चों को अपनी कक्षा स्तर का ज्ञान नहीं है। नवीं से बारहवीं तक पढ़ने के लिए तीन से पांच कि.मी. दूर भोजोतों का ओड़ा जाना पड़ता है वहाँ बच्चों को पैदल आना-जाना पड़ता है। सड़क का अभाव है। गरीबी के चलते लोग अपने बच्चों को साइकिल तक नहीं खरीद पाते हैं। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 35 कि.मी.दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है जहाँ लगभग 12 लड़के और 2 लड़कियाँ पढ़ने जाते हैं(2017 में)।

गाँवसभा द्वारा विभिन्न समस्याओं को चिह्नित किया गया इन समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार हैं -

आवागमन की कमी - डूंगरपुर हथाई मुख्य सड़क पर हथाई से 8-9 कि.मी.दूर विकासोर गाँव बसा हुआ है। हथाई से एक पक्की डामरीकृत सड़क जो बीच-बीच में टूटी हुई है। भोजातों का ओड़ा गाँव तक आती है और हथाई बस स्टेंड पर घंटों इंतजार के बाद टेम्पो अथवा जीप मिलती है। कभी-कभी साधन नहीं मिलने के कारण गाँव तक पैदल ही आना-जाना पड़ता है। भोजातों का ओड़ा से विकासोर गाँव की दूरी 3 कि.मी.है। जहाँ तक पैदल ही आना-जाना पड़ता है। फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। गाँव से भोजातों का ओड़ा मुख्य सड़क तक आने का कोई साधन नहीं है। लोग 3 से 4 कि.मी.पैदल आते-जाते हैं। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़-खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना-जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव का रकबा 112 हेक्टेयर है। जिसमें 69 हेक्टेयर कृषि भूमि है। बेनामी जमीन 25 हेक्टेयर और चारागाह 13 हेक्टेयर है। बेनामी और चारागाह भूमि पर कुछ परिवारों का कब्जा है। कृषि भूमि में गेहूं, मक्का, उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। गाँव में एक बड़ा नाला है जिसमें छः छोटे-छोटे नाले मिलते है। नाले पर दो एनीकट बने हुए हैं - होलिया वाला एनीकट और पारा वाला एनीकट। दोनों एनीकट टूट गए हैं और बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में 46 कुँए हैं उनमें 4-5 माह पानी रहता है। गाँव के तालाबों में डूंगलावाला तालाब, घबड़ावाली तलावड़ी, होलियावाली तलावड़ी, बड़ा तालाब, वड़लीवाली तलावड़ी, बारावाली तलावड़ी, वेजल गोता तलावड़ी और नाले में तलावड़ी हैं। सार्वजनिक कुओं में मोटी बावड़ी, मंदिर वाला कुआं हैं। सिंचाई के लिए लोगों के पास दो बिजली के पम्प सेट हैं और दस डीजल के पम्प सेट हैं। गरमी में भू-जल स्तर नीचे चला जाता है। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों से दांत पीले और हड्डियाँ टेड़ी हो गयी है। जिससे उनको चलने फिरने में कठिनाई होती है। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मुक्ति के बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है। गाँव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक आर. ओ. प्लांट है लेकिन परिवार दूर-दूर बसे होने से सारा गाँव उसका लाभ नहीं ले पा रहा है मात्र 20-25 परिवार को ही इसका लाभ मिलता है। गाँव में 23 हैंडपंप लगे हैं उनमें से 9 हैण्डपम्प अभी खराब है। फ्लोराइड के कारण हैण्डपम्प का पानी पीने के काम में नहीं ले रहे है। गाँव वासियों को

गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर जल प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति – गाँव में मात्र 69 हेक्टेयर ही कृषि योग्य भूमि है। कृषि भूमि में गेहूं, मक्का ,उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कृषि भूमि कम होने के कारण लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। मनरेगा में मजदूरी 70-120 रु. तक मिल जाती है लेकिन काम पूरे 100 दिन नहीं मिलता है; मात्र 60-70 दिन ही काम मिलता है। गुजरात में काम करने वाले लोगों को 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी मिलती है। इसलिए मनरेगा में अधिकतर महिलाएं ही जाती है। गाँव में केवल चार लोग ही सरकारी नौकरी में है जिसमें तीन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापक हैं। गरीबी का आलम है कि मनरेगा अथवा मजदूरी से कुछ पैसा मिला हो तो घर में सब्जी या दाल बनती है नहीं तो लहसुन, मिर्च और नमक की चटनी से गुजारा करना पड़ता है। लगभग 10 परिवारों के पास घर के अलावा खेती की कोई जमीन नहीं है। पहाड़ बिल्कुल खाली हैं। लोगों ने अपने कब्जे की जमीन में कुछ फलदार इमारती और जलाऊ लकड़ी के पेड़ लगाए हैं जो केवल अपने उपयोग के लिए ही हैं। उनसे किसी प्रकार की आय नहीं होती है। जंगल नहीं होने से वनोपज से वंचित है। पहाड़ों(काली चट्टानों) में कोई खनिज संपदा है या नहीं इसकी जानकारी गाँववासियों को नहीं है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं –

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल तालाब	गाँव से एक नाला निकलता है जिस में बरसात में पानी भरा रहता है। नाले पर दो एनीकट बने हैं लेकिन वह टूट गए हैं जिसके कारण बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गाँव में 46 कुँए हैं वह गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप 23 है जिनमें से 9 हैंडपंप खराब भी पड़े हैं। गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी कम हो जाता है। तालाब भी बरसात के बाद सूख जाता है।	नाले के दोनों एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण और गाँव के तालाब का गहरीकरण और मरम्मत कर दी जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है और भू-जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन	गाँव का रकबा 112 हेक्टेयर है।	गाँव की कुछ जमीनों का

कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	जिसमें से 69 हेक्टेयर कृषि भूमि है। बेनामी जमीन 25 हेक्टेयर और चारागाह 13 हेक्टेयर है। गाँव में समतल, ढलान, उबड़-खाबड़, काले पत्थरवाली जमीन है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में चारागाह भी है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर अलग-अलग परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीन असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो बिला नाम जमीन हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस दो से ढाई लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। बकरी और भेड़ पालन भी कर पाना उनके लिए कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 70-120रु. प्रतिदिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास श्रमिक कार्ड नहीं है। जिन लोगों के आवास बने भी हैं तो उनका भुगतान बाकी है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। उज्जवला गैस कनेक्शन के लिए फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक किसी को कनेक्शन नहीं मिला है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। राशन की दूकान से गेहूं के अलावा दो लीटर मिट्टी का तेल मिलता है। तीन-चार महीने में चीनी मिलती है। चावल नहीं मिलते है। सिर्फ दो लीटर मिट्टी का तेल मिलने से लोगों को कई रातें अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता –

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक / दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	भोजातों का ओड़ा से गाँव तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है गाँव के एक फले से दूसरे फले तक जाने के लिए कच्चा रास्ता है। गाँव के लोगों को घर तक पगडंडी से जाना पड़ता है बीच में दूसरे की जमीन होने से पगडंडी को चौड़ा करना मुश्किल है	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां–जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है। लेकिन लोगों को अपे घरों तक रास्ता बनाने में आम सहमति नहीं बन सकी है क्योंकि बीच में दूसरे की जमीन है और वह लोग रास्ता के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे अगर गाँव सभा नियमित रूप से संचालित होती है तो सम्भावना बन सकती है।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	**तात्कालिक**	

			है।			
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है। जमीन असमतल, पथरीली और असिंचित।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। खेती के साथ साथ बागवानी पर विशेष ध्यान देना।	**तात्कालिक**	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास को बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। पेंशन भी गाँव के सभी पात्र लोगों को नहीं मिल रही है। कुछ लोगों की उम्र मतदाता पहचान पत्र में कम है तो कुछ लोगों की पेंशन सालों से बंद है। गाँव के लोगों को कोई यह बताने वाला नहीं है कि उम्र कैसे संशोधित करवाई जाये और बंद पेंशन कैसे फिर से शुरू की जाय।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं	काबिज भूमि पर गाँव सभा द्वारा सामूहिक रूप	**दीर्घकालिक**	

	नहीं मिलना		लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	से दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।		
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से दो समस्याएँ खड़ी हो गयी है - 1. फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ज्यादा बढ़ रही है। 2. गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है। साथ ही साथ सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। पुराने कुओं का गहरीकरण और मरम्मत।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन -	पक्की सड़क केवल हाथाई से भोजातों का ओड़ा तक। भोजातों का ओड़ा से विकासोर तक कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना।	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे-मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी। मरीजों के उपचार में भी सुविधा होगी।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	नाले पर दो एनीकट है लेकिन टूटे हुए हैं। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं का गहरीकरण और मरम्मत तथा उनको रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गाँव की बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव। उन्नतशील बीज और खाद की कमी।	गाँव में खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती तथा उन्नतशील बीज और खाद का प्रयोग कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।
स्कूल	अध्यापकों की कमी।भवन	गाँव में स्कूल में जाने	गाँव वालों में बच्चों को

	में कमरे कम होना। पानी की कमी। खेल मैदान नहीं होना।	वाले बच्चे है और शिक्षा बच्चों का अधिकार है। शिक्षा सही मिले तो बच्चे पढ़–लिख कर अपनी आजीविका की व्यवस्था सकते हैं।	बेहतर शिक्षा के प्रति उदासीनता।सरकारी शिक्षा नीति।
श्मशान घाट	भूमि समतल नहीं होना। शेड नहीं होना। नहाने की व्यवस्था नहीं होना।	गाँव में श्मशान हेतु जमीन की उपलब्धता होना। अग्नि–संस्कार परम्परा से होता आ रहा है।	लोगों द्वारा श्मशान घाट सुधार में रूचि नहीं लेना और ध्यान नहीं।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा –

नजरिया नक्शा विकासोर

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण –

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	नए हैंडपंप लगाने के संबंध में –	7	70
2	आर.ओ. प्लांट	1	50
4	जरणीया तालाब की रिंग वाल निर्माण का प्रस्ताव	1	गाँव के समस्त परिवार
5	सार्वजनिक कुआं निर्माण	1	70
6	कुआं गहरीकरण	42	42
7	सार्वजनिक कुएं का गहरीकरण	6	60
8	बावड़ी गहरीकरण – लिमड़ा वाली बावड़ी	1	30
9	नाले की रिंग वाल नाले के दोनों साइड बनवाना है	1	--
10	पक्के चेक डैम निर्माण	5	--
11	कच्चे चेक डैम निर्माण	3	3
12	डामर सड़क निर्माण	1	--
13	सी.सी. सड़क निर्माण	4	--
14	कच्ची सड़क निर्माण	1	--
15	स्कूल मैदान समतलीकरण	1	--
16	खेत समतलीकरण	46	46

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया – फोटो गैलेरी

गांव सभाओं का किया गठन

डूंगरपुर। वागड मजदूर किसान संगठन के तत्वाधान में पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 (पेसा कानून) की धारा 3 (क) के तहत गावं सभाओं का गठन किया गया। पेसा कानून के अंतर्गत गावं स्वसाशन के तहत गठित गावं सभा अपने गावं के विकास की योजना स्वयं बनाकर गांव सभा में पारित करके पंचायत में जमा करती है। इसी के तहत दोवड़ा ब्लॉक की भोजातो का ओड़ा पंचायत के विकासोर और कालूगामडा गावं की गावं सभा के प्रस्ताव सरपंच ललिता देवी ने स्वीकार किये। धावडी पंचायत में मोठ, घोड़ी आमली गावं के प्रस्ताव सरपंच श्रीमती देवली देवी ने स्वीकार किये। आसेला पंचायत में सरकण कोपचा, आसेला गावं के प्रस्ताव पंचायत में सचिव ने स्वीकार किये। लोलकपुर पंचायत में सेलज गावं के प्रस्ताव पंचायत में सरपंच ने स्वीकार किये। बिछीवाडा ब्लॉक की शरम पंचायत में शरम, वाका खांडा और सड़ा के प्रस्ताव सरपंच कोकिला देवी ने स्वीकार किये।

प्रस्ताव जमा करवाने का समाचार

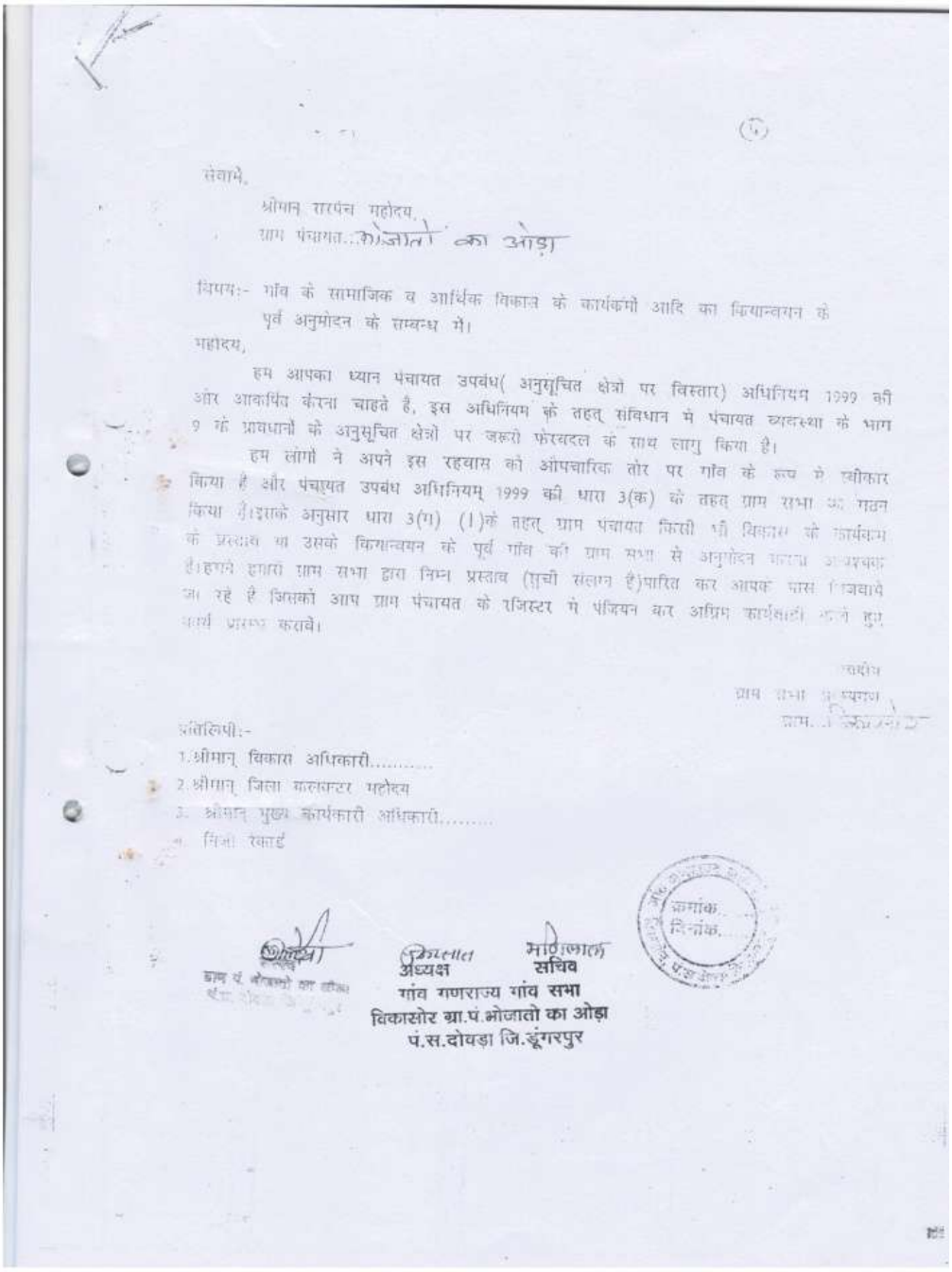

(5)

सेवामें,

श्रीमान सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत..भोजातो का ओड़ा

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन कराना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा अध्यक्ष
ग्राम..[illegible]

प्रतिलिपी:-
1.श्रीमान् विकास अधिकारी...........
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

क्रमांक.......
दिनांक.......

अध्यक्ष सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
विकासोर ग्रा.पं.भोजातो का ओड़ा
पं.स.दोवड़ा जि.डूंगरपुर

कवरिंग लैटर प्रस्ताव

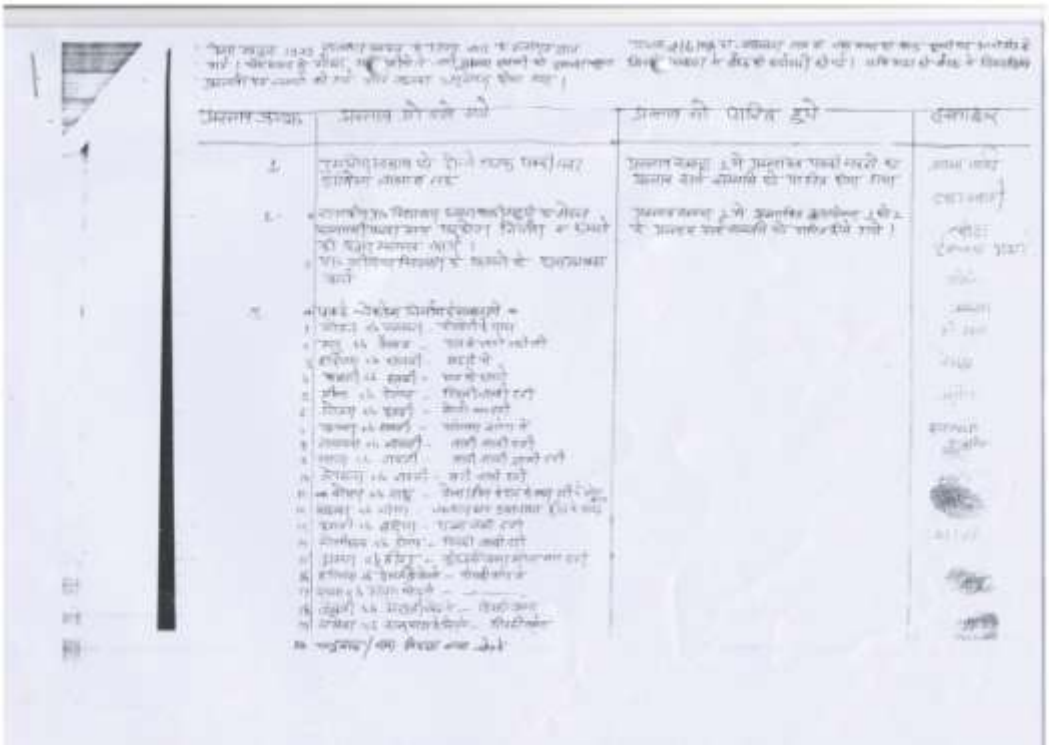

प्रस्ताव प्रथम पेज

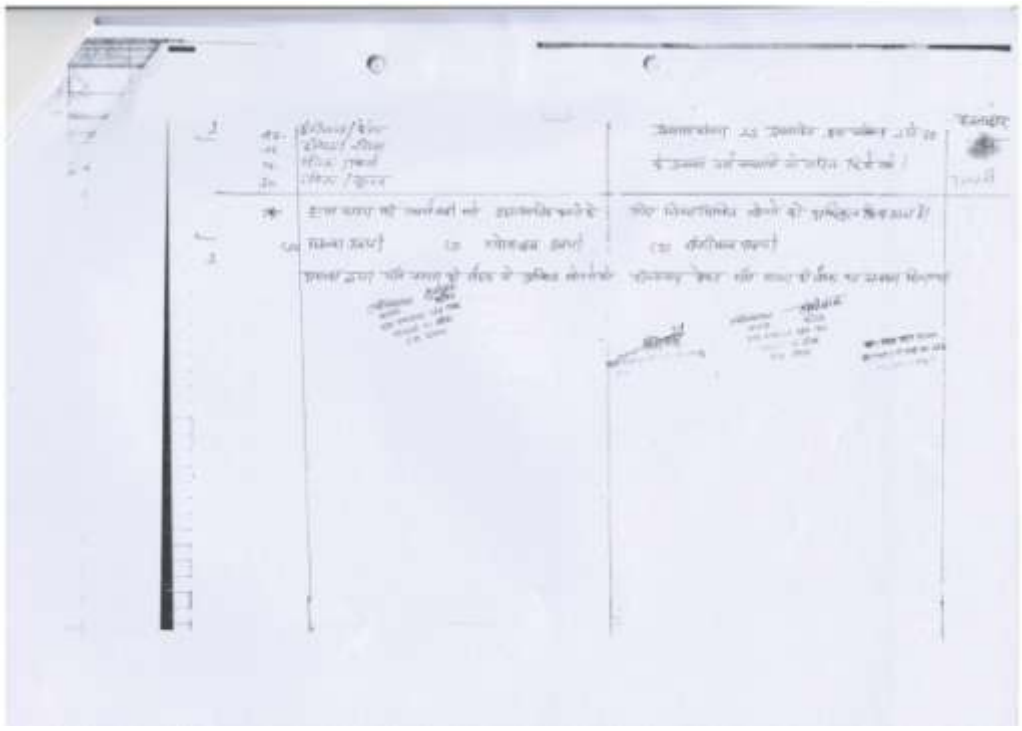

प्रस्ताव अंतिम पेज

प्रस्ताव जमा करवाते गाँव सभा के लोग

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (V.P.F.T.) के सदस्यों नाम और फोन नं.

	नाम	**फोन न.**
1.	पन्नालाल/लालू ननोमा	9001394780
2.	सोमा/लालू ननोमा	9571862063
3.	हाजु/काउड़ा ननोमा	7340102861
4.	पूंजी/जयंतीलाल ननोमा	8529546065